

187127




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

लॉक किया गया।
उप निबन्धक तृतीय
कानपुर नगर

Certificate No. : IN-UP06989682341043R
Certificate Issued Date : 07-Dec-2019 12:22 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ KANPUR/ UP-KNP
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0108313152202261R
Purchased by : REGISTRAR UP RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERISTY
Description of Document : Article 35 Lease
Property Description : PLOT NO.4,W-BLOCK,JUHI,(BUILDING MATERIAL MARKET)
KANPUR NAGAR
Consideration Price (Rs.) :
First Party : KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Second Party : REGISTRAR UP RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERISTY
Stamp Duty Paid By : REGISTRAR UP RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERISTY
Stamp Duty Amount(Rs.) : 36,19,000
(Thirty Six Lakh Ninteen Thousand only)



Please write or type below this line



SIR 0005057595

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

हम, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर एवम्
उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्व विद्यालय द्वारा कुलसचिव डा०
अरूण कुमार गुप्ता पुत्र श्री आर०एन० गुप्ता निवासी-यूनीवर्सिटी
परिसर, शान्तीपुरम् (सेक्टर-एफ) फाफामऊ प्रयागराज आज
दिनांक 21.12.19 को आगे उल्लिखित / प्रिन्टेड शर्तों एवं
प्रतिबन्धों के अधीन एक सरेन्डर-कम-फ़ेश-लीजडीड को
निष्पादित करते हैं, एवम् रू० 36.19,000/- की स्टैम्प ड्यूटी
का भुगतान "इन स्टैम्प पत्रों के माध्यम से" कर चुके हैं, जो
विलेख के साथ संलग्न है।

विलेख तैयार कर्ता,



एस०डी०सी०



M44

कानपुर विकास प्राधिकरण

सरेन्डर-कम-फ़ेस-लीजडीड

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर के पूर्व में निष्पादित व निबन्धित भूखण्ड की वापसी व उस भूखण्ड के सब अधिकारों को सरेन्डर किये जाने हेतु व इस भूखण्ड के बदले में दिये गये परिवर्तित भूखण्ड पर स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु सरेन्डर-कम-फ़ेस-लीजडीड का यह विलेख/डीड सन्ई० के मास के वें दिन कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर (जिसको यहां आगे चलकर "विक्रेता" कहा गया है) प्रथम पक्ष एवं उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्व विद्यालय द्वारा कुलसचिव डा० अरुण कुमार गुप्ता पुत्र श्री आर०एन० गुप्ता निवासी-यूनीवर्सिटी परिसर, शान्तीपुरम् (सेक्टर-एफ) फाफामऊ प्रयागराज (जिसको यहां आगे चलकर "क्रेता" कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया है।

यह कि "क्रेता" ने विक्रेता से कार्यालय के आवंटन पत्र सं०-डी/1728/ अ०अ० (बल्क सेल)/का०वि०प्रा०/2018-19 दिनांक 05.09.2018 को प्र० डा० जी०एस० शुक्ल, कुलसचिव उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर, शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ) फाफामऊ, इलाहाबाद को आवंटित हुआ था। भूखण्ड संख्या -पी०एस०-०१ पाकेट-ई-१ योजना - बर्ग यू०पी०यू०डी०पी०, कानपुर जिसका क्षेत्रफल 1955.00 वर्गमी० है तथा जिसकी चौहद्दी निम्नवत् है :-

पूरब :- 6.00 मीटर वाइड रोड़

पश्चिम :- रेस्ट पार्ट आफ लैण्ड

उत्तर :- 6.00 मीटर वाइड रोड़

दक्षिण :- पार्क

को रु० 3,65,65,232.00 (शब्देन रु० तीन करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार दो सौ बत्तीस मात्र) पर प्राप्त किया।

यह कि उपरोक्तानुसार आवंटित भूखण्ड संख्या -पी०एस०-०१ पाकेट-ई-१ योजना - बर्ग यू०पी०यू०डी०पी०, कानपुर के मूल्य रु० 3,65,65,232.00 (शब्देन रु० तीन करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार दो सौ बत्तीस मात्र) का भुगतान क्रेता द्वारा विक्रेता को कर दिया गया है।

5/10

MKS



यह कि भूखण्ड संख्या -पी0एस0-01 पाकेट-ई-1 योजना - बर्ग यू0पी0यू0डी0पी0से सम्बद्ध भूमि के मूल्य रु0 3,65,65,232.00 (शब्देन रु0 तीन करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार दो सौ बत्तीस मात्र) जिसका 10 प्रतिशत लीज-रेन्ट शुल्क रु0 36,56,524.00 पर किया गया था जिसका पूरा भुगतान भी क्रेता द्वारा विक्रेता को कर दिया गया।

यह कि कानपुर विकास प्राधिकरण (विक्रेता) व उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्व विद्यालय द्वारा कुलसचिव डा0 अरुण कुमार गुप्ता पुत्र श्री आर0एन0 गुप्ता निवासी-यूनीवर्सिटी परिसर, शान्तीपुरम् (सेक्टर-एफ) फाफामऊ प्रयागराज के मध्य भूखण्ड संख्या -पी0एस0-01 पाकेट- ई-1 योजना - बर्ग यू0पी0यू0डी0पी0 के सम्बन्ध में एक लीजडीड/विलेख दिनांक 07.02.2019 को निष्पादित की गयी तथा लीजडीड बही संख्या-1 जिल्द संख्या 21134 के पृष्ठ सं0-159 से 176 तक क्रमांक 2191 पर दिनांक 07.02.2019 को पंजीकृत/रजिस्ट्रीकृत किया गया।

यह कि क्रेता द्वारा निबन्धित भूखण्ड 6.00 मी0 चौड़ी रोड़ पर होने के कारण विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्य सम्बन्धित कार्यालय हेतु उपर्युक्त नहीं पाया तथा भौतिक कब्जा लेने से इन्कार कर दिया गया। क्रेता के द्वारा उक्त वर्णित भूखण्ड के बदले में क्षेत्रफल 1955.00 वर्गमी0 के अन्य भूखण्ड को वैकल्पिक भूखण्ड के रूप में दिये जाने हेतु विक्रेता से प्रार्थना की गयी। जिसके फलस्वरूप वैकल्पिक भूखण्ड के आवंटन हेतु प्राधिकरण बोर्ड की 127वीं बैठक में आईटम सं0 127/3 दिनांक 28.06.2019 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, जिसका आवंटन पत्र दिनांक 29.07.2019 को क्रेता के पक्ष में जारी किया गया है। क्रेता के पक्ष में भूखण्ड संख्या- 04 ब्लाक-'डब्लू' योजना-स्कीम -।। बी0एम0 मार्केट, जूही कुल क्षेत्रफल 1362 वर्गमी का आवंटन प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय दिनांक 28.06.2019 के द्वारा किया गया। भूखण्ड संख्या- 04 ब्लाक-'डब्लू' योजना-स्कीम-।। बी0एम0 मार्केट, जूही में परिवर्तन की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान की गयी।

2/10



Mrg

यह कि उक्तानुसार वैकल्पिक भूखण्ड संख्या- 04 ब्लाक - 'डब्लू' योजना-स्कीम - 11 बी0एम0 मार्केट, जूही क्षेत्रफल 1362.00 वर्गमी0 का आवंटन केता के पक्ष में इस शर्त के साथ किया गया कि केता पूर्व में अपने पक्ष में निबन्धित भूखण्ड संख्या -पी0एस0-01 पाकेट-ई-1 योजना - बर्ग यू0पी0यू0डी0पी0 क्षेत्रफल 1955.00 वर्गमी0 विक्रेता को वापस कर देगा तथा उक्त निबन्धित भूखण्ड के समस्त अधिकारों को केता विक्रेता के पक्ष में सरेन्डर (समर्पित) कर देगा तथा उक्त भूखण्ड की लीज डीड को मूल रूप से विक्रेता को दे देगा। केता के द्वारा उक्त शर्तों पर भूखण्ड आवंटन की सहमति सहित परिवर्तित भूखण्ड का आवंटन स्वीकार किया गया ।

भूखण्ड संख्या -पी0एस0-01 पाकेट-ई-1 योजना - बर्ग यू0पी0यू0डी0पी0 की केता द्वारा विक्रेता के पक्ष में वापसी किया जाना तथा उक्त भूखण्ड के समस्त अधिकारों को विक्रेता के पक्ष में केता द्वारा सरेन्डर किया जा चुका है।

केता उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्व विद्यालय द्वारा कुलसचिव डा0 अरुण कुमार गुप्ता पुत्र श्री आर0एन0 गुप्ता निवासी-यूनीवर्सिटी परिसर, शान्तीपुरम् (सेक्टर-एफ) फाफामऊ प्रयागराज इस विलेख के माध्यम से भूखण्ड संख्या -पी0एस0-01 पाकेट-ई-1 योजना - बर्ग यू0पी0यू0डी0पी0 कुल रकबा 1955 वर्गमी0 को विक्रेता कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर के पक्ष में वापसी कर रहे हैं तथा उक्त भूखण्ड के लीजडीड विलेख/डीड दिनांक 07.02.2019 को मूल रूप से विक्रेता को वापस कर रहे हैं। इस विलेख के माध्यम से उपरोक्त निबन्धित भूखण्ड के समस्त अधिकारों को केता अब से विक्रेता के पक्ष में सरेन्डर करतें हैं। उपरोक्तानुसार भूखण्ड तथा इसके लीजडीड की वापसी तथा केता के द्वारा भूखण्ड के अधिकारों को सरेन्डर किये जाने को विक्रेता एतद् द्वारा स्वीकार करता है।

चूँकि केता द्वारा भूखण्ड संख्या -पी0एस0-01 पाकेट-ई-1 योजना - बर्ग यू0पी0यू0डी0पी0 को एतद् द्वारा विक्रेता के पक्ष में उपरोक्तानुसार वापस किया जा चुका है तथा उक्त भूखण्ड के समस्त अधिकारों को भी केता एतद् द्वारा विक्रेता के पक्ष में सरेन्डर कर चुकें है।

2/10

Mha

(4)


अतः भूखण्ड संख्या -पी0एस0-01 पाकेट-ई-1 योजना- बर्सा यू0पी0यू0डी0पी0 पर से क्रेता के समस्त अधिकार तथा दावे व क्लेम आदि तत्काल से समाप्त हो गये हैं। इस भूखण्ड से क्रेता का किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रह गया है। इस भूखण्ड के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा, क्लेम आदि क्रेता कभी भी किसी भी तरह से नहीं कर सकेंगे। यह भूखण्ड अब से विक्रेता (कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर) के निजी स्वामित्व के अन्तर्गत आ गया है। अर्थात् इस भूखण्ड पर आज से और अभी से विक्रेता को स्वामित्व प्राप्त हो गया है। विक्रेता इस भूखण्ड को अपनी योजना व सुविधा के अनुसार उपयोग करेगा। भूखण्ड संख्या -पी0एस0-01 पाकेट-ई-1 योजना - बर्सा यू0पी0यू0डी0पी0 कानपुर कुल रकबा 1955 वर्गमी0 के सम्बन्ध में पूर्व में निष्पादित व पंजीकृत लीजडीड/विलेख दिनांक 07.02.2019 (जिसका विवरण इस विलेख के पेज संख्या 2 के द्वितीय प्रस्तर में दिया गया है) अब से निष्प्रभावी, अस्तित्वहीन, निष्प्रयोज्य व शून्य हो जायेगा इस प्रकार कि जैसे यह कभी भी लिखा ही न गया हो।

यह कि क्रेता द्वारा विक्रेता को यह आश्वस्त किया गया है कि उसके द्वारा विक्रेता को वापस किया गया भूखण्ड संख्या -पी0एस0-01 पाकेट-ई-1 योजना - बर्सा यू0पी0यू0डी0पी0 हर प्रकार से पाक साफ है। इस भूखण्ड पर किसी तरह का कोई कर्जा बाकी नहीं है। यह भूखण्ड किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी/निजी संस्था या व्यक्ति के यहाँ बन्धक नहीं पड़ा है। और किसी व्यक्ति व क्रेता के मध्य इस भूखण्ड के सम्बन्ध में कोई वाद मूलरूप से या अपील की दशा में किसी भी सिविल न्यायालय या उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

चूँकि क्रेता द्वारा भूखण्ड संख्या -पी0एस0-01 पाकेट-ई-1 योजना - बर्सा यू0पी0यू0डी0पी0को विक्रेता को वापस किया जा चुका है और इस भूखण्ड के समस्त अधिकारों को विक्रेता के पक्ष में सरेन्डर किया जा चुका है। और विक्रेता द्वारा उनको एतद् द्वारा स्वीकार किया जा चुका है।

2/10





अतः भूखण्ड संख्या -पी0एस0-01 पाकेट-ई-1 योजना - बर्ग यू0पी0यू0डी0पी0के मद में मूल्य आदि जमा की गयी धनराशि को वैकल्पिक भूखण्ड संख्या- 04 ब्लाक - 'डब्लू' योजना-स्कीम - ॥ बी0एम0 मार्केट, जूही कुल रकबा 1362.00 वर्गमी0 के मूल्य में समायोजित किया जाता है। इसी सन्दर्भ में भूखण्ड संख्या -पी0एस0-01 पाकेट-ई-1 योजना - बर्ग यू0पी0यू0डी0पी0 के मद में भूखण्ड का जमा शुल्क रू0 3,65,65,232.00 (शब्देन रू0 तीन करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार दो सौ बत्तीस मात्र) को वैकल्पिक भूखण्ड संख्या-04 ब्लाक -'डब्लू' योजना-स्कीम- ॥ बी0एम0 मार्केट, जूही के 10 प्रतिशत लीज-रेन्ट शुल्क समायोजन भूमि के मूल्य रू0 36,56,524.00 (शब्देन रू0 छत्तीस लाख पैंसठ हजार पाचं सौ चौबीस मात्र) के मद में समायोजित किया जाता है।

यह कि वैकल्पिक भूखण्ड संख्या-04 ब्लाक- 'डब्लू' योजना-स्कीम- ॥ बी0एम0 मार्केट, जूही कुल रकबा 1362.00 वर्गमी0 की भूमि के मूल्य रू0 4,69,89,000.00 (शब्देन रू0 चार करोड़ उन्हत्तर लाख नवासी हजार मात्र) कीमत एवं पूर्व भूमि के अंतर का मूल्य रू0 1,04,23,768.00 के 10 प्रतिशत लीजरेन्ट शुल्क रू0 10,42,377.00 (शब्देन रू0 दस लाख वयालिस हजार तीन सौ ससत्तर मात्र) का भुगतान भी क्रेता द्वारा विक्रेता को उपरोक्तानुसार हुये समायोजन के द्वारा किया जा चुका है।

(6)


भूखण्ड संख्या- 04 ब्लाक - 'डब्लू' योजना-स्कीम - II बी0एम0 मार्केट, जूही
क्रेता को भूखण्ड/भवन से सम्बद्ध भूमि के मूल्य रू0 4,69,89,000.00 (शब्देन रू0 चार
करोड़ उन्हत्तर लाख नवासी हजार मात्र) कीमत का अंतर रू0 1,04,23,768.00 के 10 प्रतिशत
लीजरेन्ट शुल्क रू0 10,42,377.00 (शब्देन रू0 दस लाख बयालिस हजार तीन सौ सतहत्तर
मात्र) को भूखण्ड/भवन के मूल्य में सन्निहित करते हुए कुल मूल्य रू0 1,25,08,522.00
(शब्देन रू0 एक करोड़ पच्चीस लाख आठ हजार पांच सौ बाईस मात्र) पर विक्रेता को
कर दिया गया है। प्राधिकरण की 127वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.06.2019 के निर्णय के
अनुपालन में भूमि परिवर्तित भूखण्ड के मूल्य का परिवर्तन शुल्क रू0 10,42,377.00 क्रेता द्वारा
जमा किया जा चुका है।

वर्तमान परिवर्तित/आवंटित भूमि का मूल्य रू0	4,69,89,000.00
(-) पूर्व आवंटित भूखण्ड का मूल्य रू0	<u>3,65,65,232.00</u>
कुल मूल्य रू0	<u>1,04,23,768.00</u>

स्टाम्प ड्यूटी रू0 36,19,000.00 पर निबन्धन की कार्यवाही पूर्ण की गयी।
(आवंटी को कब्जा दिये जाने का प्रस्ताव इस विलेख के निष्पादन से पूर्व नहीं किया गया है,
वास्तविक कब्जा इस विलेख के निष्पादन के साथ हस्तांतरित किया जा रहा है। अतः स्टैम्प
शुल्क की अदायगी उ0प्र0शासन, कर एवं निबन्धक अनुभाग-7 के शासनादेश सं0
का0नि0-7-440/11-2015-700(111)/13 लखनऊ दिनांक 30 मार्च 2015 के अन्तर्गत किया
जा रहा है)





(7)

भूखण्ड संख्या- 04 ब्लॉक - 'डब्लू' योजना-स्कीम - II बी0एम0 मार्केट, जूही का भुगतान विक्रेता को कर दिया गया है जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतद् द्वारा स्वीकार करता है।

अतः विक्रेता ने क्रेता को इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड संख्या- 04 ब्लॉक - 'डब्लू' योजना-स्कीम - II बी0एम0 मार्केट, जूही क्षेत्रफल 1362.00 वर्ग मी0 पर आगे अभिव्यक्त अधिकारों / शर्तों के अधीन OFFICE / ~~मुप-हाउसिंग~~ / ~~वाणिज्यिक/औद्योगिक~~ प्रयोजन हेतु निजी स्वामित्व देना (फ्रीहोल्ड करना) स्वीकार कर लिया है। प्राधिकरण की महायोजना/आसपास की भूमि के उपयोग के आधार पर वर्तमान में इस भूखण्ड/भवन का OFFICE / उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना है, अतः विक्रेता द्वारा क्रेता से यह अपेक्षा की जाती है कि क्रेता अनुसूची में वर्णित भूमि/भवन का उपयोग महायोजना में निर्दिष्ट/आसपास की भूमि के भू-उपयोग के अनुसार ही करेगा।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय - समय पर यथा-संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम - 1973 के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/भवन क्रेता के पक्ष में लीजडीड घोषित करने हेतु क्रेता द्वारा विक्रेता को लीज रेंट शुल्क सहित भूखण्ड/भवन के सम्पूर्ण मूल्य के किये गये भुगतान के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसविदाओं और शर्तों जिनका क्रेता पालन करेगा, को ध्यान में रख कर विक्रेता एतद् द्वारा वह सब भवन/भूखण्ड उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया है, और जो स्पष्टीकरण के लिये इस विलेख से संलग्न साइट प्लान में प्रदर्शित किया गया है, लीजडीड घोषित करते हैं और उस पर क्रेता को 90 वर्ष के पट्टे पर स्वामित्व प्रदान करते हैं और क्रेता उसके दाय्याधिकारी तथा समनुदेशिती सदा के लिये उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

2/10

144




भूखण्ड संख्या- 04 ब्लॉक - 'डब्लू' योजना-स्कीम - II बी0एम0 मार्केट, जूही

इस विलेख के निष्पादन के दिनांक से इसकी अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/भवन पर क्रेता को लीज प्राप्त हो जायेगा और वह उसे स्वेच्छा से प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन प्रयोग या हस्तांतरित कर सकेगा। भूखण्ड/भवन या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के संबंध में क्रेता इस समय देय करों का अथवा उस पर भविष्य में लगाए जाने वाले करों का भुगतान करेगा।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके संबंध में या इसके विषय पर यदि कोई भी विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों या उसके दावेदार के बीच कभी उठ खड़ा हो तो वह निर्णय कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भेजा जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इस विलेख में दोनों पक्ष उससे बाध्य होंगे। इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बंध में जो कुछ भी व्यय होगा, क्रेता वहन करेगा।





यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द "विक्रेता" और "क्रेता" के सम्बंध में जबतक उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, विक्रेता में उसके उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का "क्रेता" में उसके दावाधिकारियों, निष्पादकों, प्रबंधकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर भाव है।

यदि आवंटित भूमि विधिवत अर्जित की गई और अर्जित भूमि का मुआवजा भी दिया जा चुका है, फिर भी यदि पूर्व भूस्वामी द्वारा विधि अर्जित भूमि से सम्बंधित कोई संदर्भ / अपील/समादेश याचिका/विशेष याचिका दायर की गयी और किसी भी न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के परिणामस्वरूप मुआवजा राशि (प्रतिकर), तोषण (सोलेसियम) एवं इस मद में ब्याज आदि की कोई वृद्धि का आदेश दिया गया हो तो उसके भुगतान का दायित्व स्वतः क्रेता का होगा तथा इसके भुगतान हेतु क्रेता सहमत है एवं प्रसंविदा करता है कि उपर्युक्त वृद्धि की गयी धनराशि का भुगतान धारित भूमि के क्षेत्रफल भू-विन्यास ले-आउट प्लान के आनुपातिक आधार पर करने हेतु बाध्य है। उपर्युक्त परिस्थितियों में विक्रेता द्वारा एतदर्थ धनराशि का भुगतान मांग पत्र की प्राप्ति के 3 माह की अवधि में कर देगा। यदि उक्त धनराशि क्रेता द्वारा निर्धारित समयावधि में अदा नहीं की जाती तो विक्रेता को अधिकार होगा कि वह याचित धनराशि भू-राजस्व के रूप में वसूल कर ले।

JK



1144

आवेदन सं०: 201900849072097

पट्टा विलेख(30 वर्ष से अधिक)


बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 18712

वर्ष: 2019


प्रतिफल- 10424000 स्टाम्प शुल्क- 3619000 बाजारी मूल्य - 10424000 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 20080

श्री रेन् पाठक विशेष कार्याधिकारी के०डी०ए० द्वारा
अभिषेक त्रिपाठी प्रमाणीकृत मुख्तार,
पुत्र श्री स्व० अमोद त्रिपाठी
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर नगर।

श्री, रेन् पाठक विशेष कार्याधिकारी के०डी०ए० द्वारा
अभिषेक त्रिपाठी प्रमाणीकृत
मुख्तार

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 26/12/2019 एवं
04:13:35 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



उंदय भाष्कर

उप निबंधक :सदर तृतीय

कानपुर नगर

26/12/2019

शरद श्रीवास्तव लिपिक सहायक निबन्धक
निबंधक लिपिक

भूखण्ड संख्या- 04 ब्लाक - 'डब्लू' योजना-स्कीम - II बी0एम0 मार्केट, जूही

इस विलेख के साक्ष्य में क्रेता ने और विक्रेता की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उन तिथियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है।

इसमें अभिदिष्ट अनुसूची निम्नांकित है :-

भूखण्ड संख्या- 04 ब्लाक - 'डब्लू' योजना-स्कीम - II बी0एम0

मार्केट, जूही कुल क्षेत्रफल 1362 वर्गमी0 जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

पूरब :- प्लाट नम्बर - 05

पश्चिम :- प्लाट नम्बर - 02 एवं 03

उत्तर :- 18.00 मीटर वाइड रोड

दक्षिण :- प्लाट नम्बर - 06

क्रेता के हस्ताक्षर

प्राधिकरण की ओर से तथा उसके द्वारा प्राधिकृत

21.12.19

नाम : उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्व विद्यालय द्वारा कुलसचिव डा0 अरुण कुमार गुप्ता पुत्र श्री आर0एन0 गुप्ता

पता : यूनीवर्सिटी परिसर, शान्तीपुरम् (सेक्टर-एफ) फाफामऊ प्रयागराज।

गवाह (1) नाम- अनिल कुमार सिंह
पिता का नाम श्री शिव मोहन सिंह
पता- 110 का/ शिवपुरी, प्रयागराज
मो0 नं0 9450586116
हस्ताक्षर गवाह



गवाह (2) नाम- सुरेश चन्द्र झा
पिता का नाम श्री सुरेश चन्द्र झा
पता- 1318/1, 10/2, इन्दौर
मो0 नं0 8918284362
हस्ताक्षर गवाह



आवेदन सं०: 201900849072097

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 18712

वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

श्री रेनु पाठक विशेष कार्याधिकारी के०डी०ए० के द्वारा अभिषेक
त्रिपाठी, पुत्र श्री स्व० अमोद त्रिपाठी

निवासी: कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर नगर।

व्यवसाय: नौकरी

पट्टा गृहीता: 1

श्री उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्व विद्यालय के द्वारा डा० अरूण
कुमार गुप्ता, पुत्र श्री आर०एन० गुप्तानिवासी: यूनीवर्सिटी परिसर शान्तीपुरम सेक्टर-एफ फाफामऊ
प्रयागराज 478094226416

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अनिल कुमार सिंह, पुत्र श्री शिव मोहन सिंह

निवासी: 110क/2 शिवकुटी प्रयागराज। 298128859989

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2



श्री सुखराम भाटिया, पुत्र श्री एलपी सिंह

निवासी: 1318-1 डब्लू-1 जूही काला दामोदर नगर कानपुर नगर।
577487147358

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उदय भाष्कर

उप निबंधक : सदर तृतीय
कानपुर नगर

शरद श्रीवास्तव लिपिक सहायक

निबंधक

निबंधक लिपिक

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए
गए हैं।

टिप्पणी:

97


KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

SITE PLAN

PLOT NO 04
AREA 1362.00 SQMT

B. M MARKET
JUHI

SCHEME II
BLOCK W
LAND USE OFFICE
SCALE 1: 500



M.L.
(ASD) J.K.

[Signature]
[Fingerprint]

<p><i>Arbatam</i> <i>29/07/19</i></p> <p>D/M</p>	<p><i>[Signature]</i> <i>31/7/19</i></p> <p>JE</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>AE</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>EE</p>	<p><i>[Signature]</i> <i>03/8/19</i></p> <p>TP</p>
--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	--

आवेदन सं०: 201900849072097

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 22312 के पृष्ठ 237 से 262 तक क्रमांक 18712 पर दिनांक 26/12/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उदय भाष्कर

उप निबंधक : सदर तृतीय

कानपुर नगर

26/12/2019



प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर तृतीय कानपुर नगर क्रम 2019210043801

आवेदन संख्या : 201900849072097

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2019-12-26 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम अभिषेक त्रिपाठी

लेख का प्रकार पट्टा बिलेख(30 वर्ष से

प्रतिफल की धनराशि 10424000 / 10424000

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 20000
2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 80
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुद्दतार के अधिप्रमाणीकरण लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विविध
7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 20080

शुल्क वसूल करने का दिनांक 2019-12-26 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2019-12-26 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

18712

